संख्या- 85/2127/बयालिस-2015-15(निर्माण)/2009

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 12 अक्टूबर, 2015**

विषय :- जनपद मिर्जापुर में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु पुनःपुनरीखित आगणन की प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 609/नि0 मिर्जापुर स्टे0पत्रा0/2015-16, दिनांक 04 सितम्बर, 2015 एवं शासनादेश संख्या- 3498/बयालिस-2009-15(निर्माण)/2009, दिनांक 28 फरवरी, 2010 एवं शासनादेश संख्या- 323/बयालिस-2014-15(निर्माण)/2009, दिनांक 20 फरवरी, 2014 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय द्वारा मूल प्रशासकीय स्वीकृति रू0 212.01 लाख एवं पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकति रू0 311.87 लाख में कार्य पूर्ण न होने के कारण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा आंकलित लागत रू0 397.18 लाख की पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुपूरक मांग के माध्यम से बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 95.82 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 85.31 लाख अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1) उक्त स्वीकृति धनराशि रू0 85.31 लाख (रू0 पच्चासी लाख इकतिस हजार) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त स्वीकृति परिव्यय एवं बजट सीमा के अन्तर्गत निर्गत की जा रही है।

(2)- प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(3)- प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप खेल विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकार एवं सक्षम लोकल आथॅरिटी से स्वीकृत कराया जाये।

(4)- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

(5)- प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(6)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन के सम्बन्ध में दिनांक 10 जुलाई, 2002 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

(7)- मिट्टी भराई मद में रू0 11.86 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी थी। इस मद में एकमुस्तु रू0 04.00 लाख की मिट्टी की धनराशि अनुमन्य की गयी है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा-निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की जाये।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर प्रशासनिक विभाग सहमत होने के पश्चात मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता भवन (सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढ़ी हुयी मानी जायेगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुयी लागत को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(8)- कार्यों को पूर्ण गुणवत्ता मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा।

(9)- शासनादेश संख्या- 3498/बयालिस-2009-15(निर्माण)/2009, दिनांक 28 फरवरी, 2010 एवं शासनादेश संख्या- 323/बयालिस-2014-15(निर्माण)/2009, दिनांक 20 फरवरी, 2014 में उल्लिखित शर्तें एवं पतिबन्ध यथावत रहेंगी।

2- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 में दिनांक- 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

संख्या- 85/2127(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, मिर्जापुर।
5- प्रबन्धक निदेशक, उत्तर प्रदेश विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड 19 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग- 5
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
8- क्रीड़ाधिकारी, मिर्जापुर।
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in